



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275828
CG-DL-E-27082026-275828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4590]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4590]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4775(अ).— भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013, का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 और का. आ. 3516(अ) तारीख 30 जून, 2026 के साथ पठित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है;

सारणी

क्र. सं.	फॉर्मूलेशन का नाम / ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डोनेपेज़िल एवं मेमेन्टाइन गोली	प्रत्येक फिल्म-लेपित गोली में शामिल है: डोनेपेज़िल हाइड्रोक्लोराइड 5 मि.ग्रा., मेमेन्टाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 मि.ग्रा.	1 गोली	मैसर्स सिप्ला लिमिटेड	12.31
2	रैबेप्राज़ोल सोडियम एवं डोम्पेरिडोन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल है: रैबेप्राज़ोल सोडियम आईपी 20 मि.ग्रा. (एंटेरिक-लेपित पेलेट्स के रूप में), डोम्पेरिडोन आईपी 30 मि.ग्रा. (निरंतर रिलीज़ पेलेट्स के रूप में)	1 कैप्सूल	मैसर्स वेद लाइफसेवर्स (पी) लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	7.47

नोट:

- (क) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित फॉर्मूलेशन अर्थात् डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) के अधीन "नई ड्रग" के निर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक खुदरा मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे।
- (ख) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित खुदरा कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है तो वे वस्तु एव सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी प्रति राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।
- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती है तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

[का. सं./282/150/2026/एफ़/फा. सं. 8(150)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Pharmaceuticals)
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4775(E).— In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013, S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 and S.O. 3516(E) dated 30th June, 2026 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Donepezil and Memantine Tablets	Each film coated tablet contains: Donepezil Hydrochloride 5mg Memantine Hydrochloride 10mg	1 Tablet	M/s Cipla Limited	12.31
2	Rabeprazole sodium and Domperidone Capsules	Each hard gelatin capsule contains: Rabeprazole Sodium IP 20 mg (As Enteric Coated Pellets), Domperidone IP 30mg (As Sustained Release Pellets)	1 Capsule	M/s. Ved Lifesavers (P) Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Private Limited	7.47

Notes:

- The manufacturer, as mentioned in column (5) of the table above, of formulations i.e., “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price not exceeding the price as specified in column (6) of the table above.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

[PN/282/150/2026/F/F. No. 8(150)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director